न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 08 / 2013 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़

प्रार्थी

बनाम

सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4 / 5, विसुदेवी, विमला, आशा, पुत्रियान गोमा हि. 1 / 5 जाति दरोगा साकिन कोछोर तहसील दांतारामगढ़

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–28.08.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोछोर के आराजी ख0नं0 1312 / 1 रकबा 0.54 की वर्तमान खातेदारी श्री सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4 / 5, विसुदेवी, विमला, आशा पुत्रियान गोमा हि0 1 / 5 जाति दरोगा नि. कोछोर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ की भूमि ख0 नं0 338 किस्म नदी खाता संख्या 1 में सम्वत 2024–27 में दर्ज रिकार्ड थी। तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.06.66 से उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल जाति दरोगा निवासी कोछोर को कृषि योग्य भूमि मानकर आवंटन कर दी गई। उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल कोम दरोगा निवासी कोछोर के नाम नामान्तकरण संख्या 326 आदेश दिनांक 05.10.66 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। नाम0 सं0 426 दिनांक 20.11.1983 से उक्त भूमि विरासत की खातेदार सावत्री बेवा गोमा व आनन्दीलाल सुरजमल पि0 गोमा कोम दरोगा के नाम दर्ज है। ना0सं0 740 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विरासत से आनन्दीलाल सुरजमल पुत्रगण गोमा विसूदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1 / 3 कोम दरोगा के नाम दर्ज हुई है। ना0सं0 789 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विभाजन द्वारा सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4 / 5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1 / 5 जाति दरोगा सा. कोछोर ख0नं0 1312 / 1 रकबा 0.54 है. बा–4 दर्ज हुई। व आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 4 / 5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियां गोमा हि. 1 / 5 जाति दरोगा ख0 नं. 1312 / 2 रकबा 0.08 है. बा–4, ख0नं0 1313 रकबा 0.38 है. बा–4 ख0नं0 1316 रकबा 0.07 है. बा–4 के नाम दर्ज हुई है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0 नं0 334 से नये ख0 नं0 1312, 1313, 1316 किता 3 रकबा 1.07 है0 बा–4 दर्ज कर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी / नाला / झील / तालाब / चारागाह / जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार का आवंटन आदेश एवं ना0सं0 154 दिनांक 19.9. 66 कानून की निगाह में अवैध एवं प्रभाव शून्य एवं कानून के विपरीत है। अतः उक्त वर्णित

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो पश्चातवर्ती भू–प्रबन्ध एवं भू– अभिलेख सहक्रियायें के तहत निजी खातेदारी/अन्यत्र दर्ज हो गई ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोढ गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन जलोढ भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट सं. 1536/03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार के आवंटन आदेश व नामान्तकरण संख्या 33 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवायचक गै.मु. नदी दर्ज करने के आदेश पारित करवाये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कोछोर सम्वत् 2024–2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 338 भूमि की किस्म नदी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 326 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 326 के द्वारा उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल कोम दरोगा निवासी कोछोर के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। गैर खातेदार गोमा के फौत होने पर नामा0 सं0 426 दिनांक 20.1.1983 से विरासत के आधार पर सावत्री बेवा गोमा व आनन्दीलाल सुरजमल पि0 गोमा कोम दरोगा के नाम दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात् ना0सं0 740 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विरासत से आनन्दीलाल सुरजमल पुत्रगण गोमा विसूदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/3 कोम दरोगा के नाम दर्ज कर दी गई। ना0सं0 789 दिनांक 18.11.2010 मुताबिक बंटवारा आदेश के सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा सा. कोछोर ख0नं0 1312/1 रकबा 0.54 है. बा–4 दर्ज कर दिया गया व आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियां गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा ख0 नं. 1312/2 रकबा 0.08 है. बा–4, ख0नं0 1313 रकबा 0.38 है. बा–4 ख0नं0 1316 रकबा 0.07 है. बा–4 के नाम दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0 नं0 334 से नये ख0 नं0 1312, 1313, 1316 अंकित किये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1316 की खातेदारी सावित्री बेवा गोमा आनन्दीलाल सुरजमल पि. गोमा जाति दरोगा सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 338 भूमि की किस्म नदी दर्ज है एवं उसके पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी अथवा खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी राज. सरकार नदी दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई। नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की किस्म नदी दर्ज है। जबकि नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 338 जिसके नये खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.38 है0 व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0. 02 है0 कुल किता 3 रकबा 1.07 है0 में अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official